स0स0–7/एम०सी०एच०–35–29/2021 — 231 (7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप स परामशित

*द्वारा.– वित्त विभाग।

पटना, दिनाक– 18/05/2026

विषयः– इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान–वेतन की राशि रु० 5,50,00,00,000/–(रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु रु0 1,38,00,00,000/– (रुपये एक अरब अड़तीस करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयो मे उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओ और स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सतत शिक्षा के विकास करने एव चिकित्सा शास्त्र विषयो के क्षेत्र मे सेवा, अनुसधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम संख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान मे सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। सस्थान मे मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोला गया है और इसमें पढाई भी प्रारभ हो गई है। साथ ही, यहाँ स्टेट कैसर इन्स्टीच्यूट खोला गया है और इन सभी मे कई चिकित्सको/चिकित्सा कर्मियो को नियुक्त किया गया है। पूर्व वर्षो की भॉति इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 मे रु० 5,50,00,00,000/–(रुपये पॉच अरब पचास करोड) मे से प्रथम किस्त के रूप मे व्यय हेतु रु0 1,38,00,00,000/– (रुपये एक अरब अडतीस करोड) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17 04 1998, 2880/वि0(2),दिनाक–06 05.2006, 2938/वि0(2),दिनाक–08 04 2008, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017, 4443/वि0, दिनाक–14 06 2018 एवं 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान–105–एलोपैथी–0017–इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017–31–04 सहायक अनुदान–वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

(4) इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी सस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

क्रमश

(5) अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA003विपत्र कोड–00-8448001200068-0001के अन्तर्गत ledger ID-11798 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(6) राज्यादेश मे वित्त विभाग द्वारा सशर्त्त सहमति निम्नरूपेण प्राप्त हैः–

(क) विमुक्त की जाने वाली राशि की एकमुश्त निकासी कोषागार से नहीं किया जाय। माहवार वेतन एव छात्रवृति मद मे, मासिक देय राशि के अनुसार राशि की निकासी प्रत्येक माह किया जाय।

(ख) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन ससमय महालेखाकार से करा लिया जाय।

(ग) संबंधित कर्मियों के वेतनादि एव पेंशनादि का भुगतान सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाय।

(घ) राशि की निकासी एव व्यय बजटीय उपबध के अधीन वित्तीय प्रावधानो एव समय–समय पर निर्गत वित विभागीय अनुदेशो का अनुपालन कर किया जाय।

(7) राज्यादेश मे माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) इसमे महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

(9) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.5.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक–7 / एम0सी0एच0–35–29 / 2021– 231 (7B) / स्वा0, पटना, दिनाक– 18 / 05 / 2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी–7बी एव सबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियो के साथ सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.5.26.

सरकार के अपर सचिव